(b) and (c) An FIR has been lodged with local Police Station. A departmental enquiry has also been ordered.

Potentiality of Geo-textiles

2650. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a whether Government have made any assessment of potentiality or application of geo-textiles in India, if so, what are the details thereof;

(b) what are the various applications of geo-textiles;

(c) whether any effort is being made at Government level to develop indigenous technology in the field of geo-textiles; if so, what are the details thereof; and

(d) whether NTC-run mills are planning to diversify in the field of geo-textiles and/or other newer fields with a view to sustain themselves; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) Government have assessed a demand of the order of 36,000 tpa for non-woven Geo-Textiles. The Geo-Textiles can be used in the construction of canals, tunnels dams, roads railway tracks, airport run-ways etc.

(c) At present spun borded Geo-Textiles are not manufactured in the country. Only imported technologies are available for spun-bonded Geo-Textiles. Spun-bonded Geo-Textiles have been identified as one of the areas for indigenisation.

(d) NTC is exploring the possibility to diversify to non-woven fabrics and a proposal to modernise and expand the non-woven fabric plant in the Tata Mills, Bombay, a managed unit under NTC, is in hand.

डी० वी० कपूर समिति की सिफारिशें

2651. श्री रशीद मसूद :
श्री अजीत सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा संरक्षण के संबंध में डी०वी० कपूर समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा अब तक उठाये गये प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि ऊर्जा संबंधी सलाहकार बोर्ड ने सरकार को एक निधि की स्थापना करने का परामर्श दिया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) औद्योगिक, परिवहन और कृषि क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के संबंध में समिति द्वारा कई सुझाव दिए गए हैं । इन सुझावों में लघु कालिक एवं दीर्घकालिक उपाय निहित हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:--उद्योगों में ऊर्जा संबंधी लेखा-परीक्षा लाग करना, अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी एवं सह-उत्पादन प्रणालियां स्थापित करना, उपस्करों एवं विधियों में सुधार करना, अकुशल कृषि पम्पसैटों में सुधार करना और औद्योगिक तथा परिवहन क्षेत्रों में ऊर्जा संबंधी कुशल प्रौद्योगिक को अपनाना/उसका विकास करना । समिति द्वारा निम्नलिखित बातों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है:--प्रभावी संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था करना, वित्तीय प्रोत्साहन देना, शैक्षिक तथा जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना और विभिन्न उपकरणों तथा उपस्करों पर ऊर्जा उपभोग की क्षमता अंकित करना । सरकार की ऊर्जा संरक्षण नीति में इन सुझावों में से अधिकांश को शामिल किया गया है और ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को कार्यान्वित करने के लिए सतत आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया है कि ऊर्जा संरक्षण संबंधी